

FROM No.III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहाय्य इलाहाबाद एच.डी. मुकाम वापुड

खंवाराराम बनाम इंदलाराम कौर

किस्म मुकदमा नॉ. 111,128 RURAL 330/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/10/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>इंदराराम चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RURAL</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू सजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>29/12/2021</u> को पेश हो।</p>	
29/12/21	<p><u>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी-गणों के नोटिस एवं जस्टिस रजिस्ट्रर एडी मिश्रा के जवाब में जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। सीमांत पीढासीन अधिकारी डिग्न डार्फ के क्लक होने के मिशाल इलवा डोट ड मगापी दिनांक 26/04/2022 को पेश थी।</u></p>	<p>सहायक क्लर्क (सी.डी.) वापुड नं. 330/21</p>
26/04/2022	<p><u>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/गणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। सीमांत पीढासीन अधिकारी मगडारा के पत्रावली डोट ड डल ड डल: मिशाल इलवा डोट ड मगापी दिनांक-12/05/2022 को पेश थी।</u></p>	

12/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण
नोचिम पूर्व के जमीने रजिस्टर्ड एडी मिजवाके
गमे जिनकी डिलेक्ट रसिदे प्रार्थी वकील द्वारा
पेडा की गई जिसे शामिल पत्रावली विप्रा गण
विप्रार्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे जिनके
बिखर एडलरफा डारफाई प्रमल के लाई जाते हैं
अतः वाले बरत पत्रावली दिनांक 27/06/2022
की पेडा दी/रु

उप
सहायक
कार/2022/1104
प्रार्थी

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

27/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1104

दिनांक : 22/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खंगाराराम पुत्र करनाराम,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 13,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 330 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कोसरिया, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 634/513, 226 रकबा 1.7798, 0.0485 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1104 - 09

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खंगाराराम पुत्र करनाराम,
4. विप्रार्थी श्री कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 13,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 22/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर